न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 73/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/141

अनवान

1. राधाकिशन पिता बालु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल पिता बालु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुगनादेवी बेवा बालु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. किशन पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. निर्मल पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. प्यारीदेवी पत्नि अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रकाश पिता लादु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पप्पु पिता लादु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मोहनी पत्नि लादु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामपाल पिता भंवरलाल सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूलचन्द पिता मोहन कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हरदेव पिता नाथु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. मेवाराम पिता नाथु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. जाकिर हुसैन रंगरेज — वादी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 12 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः—04.03.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सगरेव पटवार मण्डल सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 660 में अंकित आराजी संख्या 1430 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 1431 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 1432 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1433 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1434 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1435 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 1436 रकबा 0.61 है0 आराजी संख्या 1437 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1446 रकबा 0.75 है0, आराजी संख्या 1448 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 1449 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 812 रकबा 0.78 है0, आराजी संख्या 813 रकबा 0.73 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 5.18 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एंव नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है। वादीगण बाहर रहते जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीगण की आराजी पर अवैध कब्जा कर लिया। वादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाकः 04—12—2019 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 11.07.2020 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादी की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की तो प्रतिवादीगण का वादीगण की आराजी संख्या 1437 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1436 रकबा 0.61 है0 मे से 0.40 है0, आराजी संख्या 1446 रकबा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर

0.75 है0 मे से 0.35 है0 भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है जो वादीगण की खातेदारी की ही पाई गई। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की बेदखली की डिक्री सादर फरमाई जावे कि ग्राम सगरेव में स्थित वादीगण की खातेदारी आराजियात खाता संख्या 660में अंकित आराजी संख्या 1436, 1437 1446 से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमियों पर किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी से करावे तथा वादीगण की भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण नही करें।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद कराया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादीगण की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1437 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1436 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 1446 रकबा 0.75 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादीगण लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार मण्डल सगरेव की आराजी संख्या 1437 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1436 रकबा 0.61 है0 मे से 0.40 है0, आराजी संख्या 1446 रकबा 0.75 है0 मे से 0.35 है0 भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 1436, 1437, 1446 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वजीत सिह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 73/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/141

अनवान

1. राधाकिशन पिता बालु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोपाल पिता बालु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुगनादेवी बेवा बालु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. किशन पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजु पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. निर्मल पिता अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. प्यारीदेवी पत्नि अर्जुन नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्रकाश पिता लादु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. पप्पु पिता लादु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मोहनी पत्नि लादु नाई निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. रामपाल पिता भंवरलाल सेन निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. मूलचन्द पिता मोहन कुमावत निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हरदेव पिता नाथु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. मेवाराम पिता नाथु गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सगरेव पटवार मण्डल सगरेव की आराजी संख्या 1437 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1436 रकबा 0.61 है0 मे से 0.40 है0, आराजी संख्या 1446 रकबा 0.75 है0 मे से 0.35 है0 भूमि पर अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 1436, 1437, 1446 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

डिक्री आज दिनांक 04.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा